



न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

प्रकरणं क्रमांक (म०प्र०) ३३३५-प्र०/२०१५

लाखनसिंह पुत्र नन्दराम जाति कुर्मी निवासी ग्राम सानई तहसील
कुम्भराज जिला गुना म०प्र०

आवेदक/निगरानीकर्ता

विपरीत

म०प्र०राज्य शासन द्वारा पटवारी ग्राम सानई तहसील कुम्भराज
जिला गुना म०प्र०

अनावेदक/प्रति निगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा० संहिता 1959।

निगरानी विरुद्ध श्रीमान एस.डी.ओ. महोदय चाचौडा के प्रकरण क्रमांक 87अ
68/2014-15 / 345 में पारित आदेश व जारी सूचनापत्र दिनांक 06-08-15 से
व्यथित होकर।

(Handwritten signature)

(Handwritten note)
ध.म. २९००/२०१५
१५.१०.१५

(Handwritten note)
१५/१०/१५

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3334-पीबीआर/2015

जिला गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-10-2015	<p>उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 8-10-2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 18-9-15 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर संहिता की धारा 162 एवं 248 में संशोधन होना दर्शाते हुये आपत्ति प्रस्तुत की गई है, जबकि दिनांक 11-7-2013 को संहिता में कोई संशोधन नहीं हुआ है, बल्कि केवल बिल पेश हुआ है, इस कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p>(मनाज गोयल) अध्यक्ष</p>